भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1524
जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है

भारी उद्योगों की स्थापना संबंधी नीति

1524. श्री धर्मवीर:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में भारी उद्योग की स्थापना संबंधी नीति में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का भारी उद्योगों की स्थापना के लिए राज्यों को कर-छूट सहित अन्य प्रकार की रियायतों की सुविधा प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क) से (घ): भारी उद्योग विभाग की भूमिका अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तक सीमित है, इसलिए देश में भारी उद्योगों की स्थापना के लिए इस विभाग द्वारा कोई नीति नहीं बनाई गई है। उद्योगों के विकास और वृद्धि के लिए कई राज्यों ने प्रोत्साहनों और योजनाओं की रूपरेखा तैयार की हैं। वित्त मंत्रालय के माध्यम से केन्द्र सरकार भी समग्र देश में उद्योगों की वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर-संरचना में प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है।

*****